मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक 22(ए)192/एमपीएस/31/1360 भोपाल, दिनांक 12/11/2020

प्रति,

1. सचिव,
   मुख्यमंत्री कार्यालय
2. उप सचिव,
   मुख्य सचिव कार्यालय
3. प्रमुख अभियंता,
   जल संसाधन विभाग,
   भोपाल
4. मुख्य अभियंता(बोधी)
   जल संसाधन विभाग
   भोपाल

विषय :– केन–बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना पर माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश द्वारा ली गई समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण।

———

माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 06.11.2020 को सम्पन्न केन–बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना एवं अटल भूजल योजना के संबंध में की गई समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

C.E.(I.S.)		S.E. (A)
C.E.(N.M.)		C.P.O.
C.E.(P)		E.E. (V)
S.E.(Major)		E.E. (B)
S.E.(W)	Sr.P.A.	S.A. (EDP)

(व्ही.एस.टेकाम)
उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग, भोपाल (म.प्र.)
12 NOV 2020
कक्ष

Desktop/Dinesh/Dinesh2020/Letter 2020

Scanned with CamScanner

केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना पर माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश द्वारा ली गई समीक्षा बैठक दिनांक 06/11/2020 का कार्यवाही विवरण

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 06.11.2020 को केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के संबंध में अद्यतन जानकारी की समीक्षा हेतु बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में मुख्य सचिव, उपस्थित रहे। अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजना की अद्यतन जानकारी का प्रस्तुतीकरण किया गया। साथ ही परियोजना के क्रियान्वयन में हो रहे विलंब के मुख्य कारणों/मुद्दों को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया एवं अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच मौसमी जल बंटवारे पर सहमति अब तक लंबित है। इस संबंध में बताया गया कि पूर्व में वर्ष 1977 में दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच संपन्न बैठक के कार्यवृत्त में केन सिस्टम से बरियारपुर पिकपवियर पर उ.प्र. को 1048 मि.घ.मी. (37 टी.एम.सी.) जल आबंटित किया गया था, जिसे बढ़ाकर त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन 2005 में 1700 मि.घ.मी. (60 टी.एम.सी.) उत्तर प्रदेश के मौजूदा क्षेत्र के स्थिरीकरण (Stabilization) हेतु आवंटित किया गया।

तदानुसार परियोजना की डी.पी.आर. वर्ष 2010, में तैयार की गई। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उक्त डी.पी.आर. में उत्तर प्रदेश को कुल आबंटित 1700 मि.घ.मी. जल में से रबी सिंचाई हतु कुल 547 मि.घ.मी., पेयजल हेतु 11 मि.घ.मी. तथा खरीफ सिंचाई हेतु 1142 मि.घ.मी. निर्धारित किया गया था। वर्ष 2017 में एक द्विपक्षीय बैठक में उत्तर प्रदेश द्वारा रबी सीजन में सिंचाई व पेयजल हेतु 700 मि.घ.मी. जल की मांग की गई, जिस पर म.प्र. द्वारा सहमति दी गई। जुलाई 2019 में सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा त्रिपक्षीय समझौता अनुबंध को अंतिम रूप देने हेतु आहूत बैठक में उत्तर प्रदेश द्वारा रबी सीजन हेतु पुनः 930 मि.घ.मी. पानी बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया, जिससे मध्य प्रदेश सहमत नहीं है।

अपर मुख्य सचिव द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक प्रस्ताव जिसमें कहा गया कि यदि म.प्र. 700 मि.घ.मी. जल से अधिक रबी सीजन में नहीं बढ़ाना चाहता, उस दशा में म.प्र., उ.प्र. के मौजूदा तालाबों और बरियारपुर के डाउन स्ट्रीम में उ.प्र. को अपने राज्य की सीमा में बैराज निर्माण व मानसून सीजन में अपने हिस्से का पानी भरने पर वांछित अभिमत के अनुक्रम में विभाग द्वारा सहमति दी गई है।

Scanned with CamScanner

माननीय मंत्री, जल शक्ति, भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.09.2020 को दोनों राज्यों के मान. जल संसाधन मंत्रियों से केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर की गई वर्चुअल चर्चा की जानकारी देते हुये अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार द्वारा दोनों राज्यों को निर्देशित किया गया है कि एम.ओ.ए. (MoA) पर दोनों राज्य अपनी टिप्पणी/विचार अतिशीघ्र भेजें, जिससे केन्द्र सरकार द्वारा MoA को अंतिम रूप दिया जा सके।

भारत सरकार से प्राप्त एम.ओ.ए. प्रारूप पर विभाग द्वारा तैयार टीप के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया, जिस पर टीप/अभिमत भारत सरकार को भेजने हेतु निर्देश दिये गये ।

माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अटल भूजल योजना के संबंध में भी अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुति दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि योजना में जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर पूरे पारदर्शिता के साथ योजना का क्रियान्वयन किया जावे।

बैठक में सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी के लिये जल संथाओं के निर्वाचन पर हुई चर्चा के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि जल उपभोक्ता संथाओं के सदस्यों के निर्वाचन की अवधि पूर्व की तरह मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 (यथा संशोधित 2013) की तरह दो-दो वर्ष रखी जाए।

बानसुजारा, गरोठ, मोहनपुरा परियोजनाओं द्वारा प्रेशराइज्ड पाइप सिस्टम के द्वारा की जा रही सिंचाई प्रक्रिया के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ जनजागरूकता अभियान चलाने हेतु किसान सम्मेलनों का आयोजन किया जाए। इन सम्मेलनों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानो से संवाद हेतु सहमति दी गई ।

अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक संपन्न हुई।

(एस. एन. मिश्रा)
अ.मु.स. म.प्र. शासन
जल संसाधन एवं परिवहन विभाग

Scanned with CamScanner